

**Ministry of Railways/ रेल मंत्रालय
(Railway Board/ रेलवे बोर्ड)**

**S.No.PC-VI/ 251
No. PC-VI/2008/I/7/2/1**

**RBE No. 40 /2011
New Delhi, dated 25.3.2011**

**The GMs/CAO(R),
All Indian Railways & Production Units
(as per mailing list)**

**Sub: Payment of Dearness Allowance to Railway employees –
Revised rates effective from 01.01.2011.**

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 22.09.2010 (S.No PC-VI/227, RBE No.139/2010) on the subject mentioned above. The President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of **45% to 51%** with effect from **1st January, 2011**.

2 The provisions contained in Paras 3, 4 & 5 of this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S.No. PC-VI/3, RBE No. 106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3 The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all railway employees. The payment of arrears of Dearness Allowance for the months of January and February, 2011 shall not be made before the date of disbursement of salary for March, 2011 and no honorarium is payable for preparing separate bill for this purpose.

4 This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.



**(Koshiy Thomas)
Joint Director, Pay Commission-II
Railway Board**

No.PC-VI/2008/I/7/2/1

New Delhi, dated 25 .03.2011

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.


for Financial Commissioner/Railways.

कम सं. पी सी -VI/251
सं. पी सी- VI/2008/I/7/2/1

आर बी ई सं. 40/2011
नई दिल्ली, दिनांक 25.3.2011

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय : रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 01.01.2011 से
लागू संशोधित दरें।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 22.09.2010 वं
समसंख्यक पत्र (कम सं. पी सी -VI/227 आरबीई सं.139/2010) का अवलोकन करें
राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01
जनवरी, 2011 से 45% की मौजूदा दर से 51% तक बढ़ा दिया जाएगा।

2. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (कम सं. पी सी -VI/3 आरबीई
सं. 106/2008)के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई
भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।
3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान समस्त
रेल कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा। माह जनवरी व फरवरी, 2011 के लिए
महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2011 के वेतन के संवितरण से पहले
नहीं किया जायेगा और इस प्रयोजन हेतु अलग बिल बनाने के लिए कोई मानदेय देय
नहीं है।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।




(कोशी थॉमस)

सं. निदेशक, वेतन आयोग-II,
रेलवे बोर्ड

सं. पी सी- VI/2008/I/7/2/1

नई दिल्ली, दिनांक 25.3.2011

प्रतिलिपि ए डी ए आई (रेले) नई दिल्ली को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियाँ)


कृते वित्त आयुक्त/रेलें